

न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर जिला जबलपुर

:- आदेश :-

क्रमांक / / 2025

जबलपुर, दिनांक- 30.06.2025

माह जुलाई 2025 में वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से रिमांड कार्य निष्पादित किये जाने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की डिपूटी लगाई जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट वीडियो कॉन्फेसिंग का कार्य 10.30 बजे से 11.00 के मध्य वीडियो कॉन्फेसिंग रूम में उपस्थित होकर संपादित करे।

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक	क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	सुश्री श्रद्धा पटेल	01.07.2025	14	सुश्री राखी साहू	17.07.2025
2	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी	02.07.2025	15	सुश्री संध्या गर्ग	18.07.2025
3	सुश्री मेधा पुराहिता	03.07.2025	16	श्रीमती बंदना सिंह	21.07.2025
4	श्री फरहान गसूद कुरैशी	04.07.2025	17	डॉ० श्री गौरव गर्ग	22.07.2025
5	सुश्री रेणु खेरा	07.07.2025	18	श्रीमती दीपा पॉल	23.07.2025
6	श्रीमती रश्मि मंडलोई ठाकुर	08.07.2025	19	सुश्री श्वेता खरे	24.07.2025
7	सुश्री बंदना सोनी	09.07.2025	20	सुश्री अंकिता त्रिपाठी	25.07.2025
8	श्रीमती अंकिता शाही	10.07.2025	21	सुश्री ऋचा बठेजा	26.07.2025
9	श्री गरता परमार	11.07.2025	22	श्री किशन देव सिंह	28.07.2025
10	सुश्री निर्मला पटेल	12.07.2025	23	श्रीमती गीताक्षी दादेलिया	29.07.2025
11	सुश्री निशा कुशवाहा	14.07.2025	24	सुश्री अगिसारिका माहुने	30.07.2025
12	सुश्री अंजली राय	15.07.2025	25	श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी	31.07.2025
13	श्री देवरथ सिंह	16.07.2025			

उक्त सूची में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण या पदोन्नति हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट उस दिनांक को वीडियो कॉन्फेसिंग का कार्य निष्पादित करेंगे एवं यदि किसी कारणवश दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय रिक्त हो जाती है या स्थानांतरित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किया जाता है अन्यथा उपरोक्त सूची में दर्शित यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक को अवकाश पर रहते है तो उक्त दिनांक को श्री स्वास्तिक सावंत जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेंगे एवं यदि किन्ही कारणवश श्री स्वास्तिक सावंत जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेगी यदि किन्ही कारणवश श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो श्री कमलेश बरमनिया जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेंगे।

(अभिषेक सोनी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

प्रतिलिपि :-

- 1- निज सचिव, (माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की ओर माननीय महोदय को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।

- 2- संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उनके डियूटी दिनांको पर जेल से प्राप्त अभियुक्तों की पेशी से संबंधित सूची पर अभियुक्त की उपस्थिति अनुपस्थिति दर्ज कर समस्त संबंधित न्यायालयों को सूचित कर मूल प्रति इस न्यायालय को प्रमाणित कर भेजे ।
- 3- जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कि उक्त दिनांकों में लगायी गयी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फेसिंग पेशी की सूची एक दिवस पूर्व संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।
- 4- जूनियर सिस्टम एनालिस कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय जबलपुर की पालनार्थ प्रेषित ।

(अभिषेक सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर